"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 197] रायपुर, सोमवार, दिनांक 19 जुलाई 2010—आषाढ़ 28, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/38/2009/वाक/पांच (59).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 में निम्न संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त अनुसूची के भाग-2 की अनुक्रमांक 86 में शब्दों "जी आई पाईप, सी आई पाईप" का लोप किया जाय.

2. यह संशोधन 01-01-2010 से प्रभावशील मानी जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2010

क्रमांक एफ-10/38/2009/वाक/पांच (59).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/38/2009/वाक/पांच (59), दिनांक 19-07-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 19th July 2010

NOTIFICATION

No. F-10/38/2009/CT/V (59).—In exercise of the powers conferred by section 15-A of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment in part-II of the said act :—

AMENDMENT

In S. No. 86 of part-2 of said Schedule the words "G.I. Pipe, C.I. Pipe" shall be omitted.

2. This amendment shall be effect from 01-01-2010.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.